रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

Press—7761
PO—401
Defence—1
4019.15
Recd. 385
7/12/84.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 1984/अग्रहायण 10, 1906

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1984/AGRAHAYANA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

27/12/84

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1984

का०नि०आ० 224 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निरीक्षण महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. सैन्य विस्फोटक निरीक्षणालय; प्रोपेलपुर, इटारसी
2. अग्निशमन उपस्करों का निरीक्षण नियंत्रणालय, दिघी, पुणे

[संख्या 85173/ए/नि.म.नि. (प्रशासन-3)]

के० जी० गुप्ता, अवर सचिव,

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th August, 1984

S.R.O. 224.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of DGI Organisation the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. IME, Propelpur, Itarsi
2. CIFFE, Dighi, Pune

[No. 85173/A/DGI(Adm-3)]

K. G. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1984

का०नि०आ० 225 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैंटिन स्टोर्स डिपार्टमेंट, रक्षा मंत्रालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1979 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, रक्षा मंत्रालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, रक्षा मंत्रालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में उपमहाप्रबंधक (प्रशासन) तथा उपाध्यक्ष, प्रशासन मंडल के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ 2 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"संयुक्त महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष, प्रशासन मंडल"

[सं. बी. ओ सी सी एस/00589/आरआर/क्यू/सीएएन-4/622/एस/डी (मूव)/84]

ए० एस० राजगोपाल, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम का.नि.आ. 64, तारीख 15 फरवरी, 1979 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे और का.नि.आ. 265, तारीख 22-9-1979, का.नि.आ. 207, तारीख 18 जून, 1980, का०नि०आ० 219, तारीख 18 जून, 1980 का० नि० आ० 279, तारीख 15 सितम्बर, 1980, का. नि. आ. 215, तारीख 6 अगस्त, 1983 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1984

का.नि.आ. 228 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979, का आगे और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में, नियम 8 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) वैज्ञानिक "च" और उससे ऊपर के पदों पर प्रोन्नति के लिए, विनिर्दिष्ट अर्हता की अपेक्षाएं, अर्थात् विद्या शाखा/विषय, विशेषज्ञता का क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र, आदि, महानिदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से, अनुसूची 3 में विहित अर्हताओं के दायरे के भीतर उस विशिष्ट पद के लिए कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाएगी।"

[सं. 10358/कार्मिक/आरडी-21 (सी) डी (आर एण्ड डी)]

टिप्पण :—भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 4 में का०नि०आ० 8, तारीख 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम का०नि०आ० 307, तारीख 10 अक्तूबर 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982 का.नि०आ. 159, तारीख 5 मई, 1983 और का.नि०आ० 176 तारीख 7 अगस्त, 1984 द्वारा संशोधित किये गये हैं।

New Delhi, the 13th November, 1984

S.R.O. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 8, for clause (b) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) For promotion to the posts of Scientist 'F' and above the specific qualification requirements, namely discipline/subject, area of specialisation, field of research etc., shall be determined by the Director General on each occasion in consultation with the Commission within the framework of the qualifications prescribed in Schedule III, keeping in view the job requirements of the particular post."

[No. 10351|Prs|RD-21(C)|4986|D(R&D)]

Note : The Defence Research and Development Service Rules, published, in the Gazette of India Part II, section 4 vide SRO 8, dated 30 Dec. 1978 have been amended vide SRO 307, dated 10 Oct. 1980, SRO 196; dated 2 Aug. 1982, SRO 159, dated 5 May, 1983 and SRO No. 176 dated 7 Aug. 1984.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1984

का.नि०आ. 229 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का.नि०आ. 128, तारीख 10 मई, 1979 में जिसे का.नि.आ. सं. 83 तारीख 7 मार्च, 1981 के द्वारा संशोधित किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम, सं. 21 और उसकी सुसंगत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

22. प्रशासन अधिकारी आकाशी वितरण और विकास स्थापन, आगरा	यथोक्त
23. प्रशासन अधिकारी, रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला, अल्मोड़ा	यथोक्त
24. मुख्य प्रशासन अधिकारी, वैमानिक विकास स्थापना, बंगलौर	यथोक्त
25. प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा बायो इंजीनियरी और इलक्ट्रो चिकित्सा, प्रयोगशाला, बंगलौर	यथोक्त
26. प्रशासन अधिकारी वैमानिक प्रणाली, अध्ययन और विश्लेषण केन्द्र, बंगलौर	यथोक्त
27. मुख्य प्रशासन अधिकारी, इलेक्ट्रानिकी और रडार विकास स्थापना, बंगलौर	यथोक्त
28. मुख्य प्रशासन अधिकारी, गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना, बंगलौर	यथोक्त
29. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, नौसेना रसायन और धातुकर्म प्रयोगशाला, बम्बई	यथोक्त
30. निदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास एकक, कलकत्ता	यथोक्त
31. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	यथोक्त
32. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली	यथोक्त
33. प्रशासन अधिकारी, रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेख केन्द्र, दिल्ली	यथोक्त
34. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, शरीर क्रिया और सम्बद्ध विज्ञान रक्षा संस्थान, दिल्ली	यथोक्त
35. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, रक्षा इलेक्ट्रोनिकी उपयोजना प्रयोगशाला, देहरादून	यथोक्त

[फाइल सं. 87116/आर डी-28/1512/डी (आर एण्ड डी)]

टी० सी० सांगर, अवर सचिव

Attested.

21.11.07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

New Delhi, the 14th November, 1984

S.R.O. 229.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO-128 dated the 10th May, 1979 as amended vide No. SRO-83 dated the 7th March, 1981, namely :—

In the table below the said notification, after serial number 21 and entries relevant there to there following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

22. Administrative Officer, Aerial Delivery Research & Development Establishment, Agra.	-do-
23. Administrative Officer, Defence Agriculture Research Laboratory, Almora.	-do-
24. Chief Administrative Officer, Aeronautical Development Establishment, Bangalore.	-do-
25. Administrative Officer, Defence Bio Engineering and Electro-Medical Laboratory, Bangalore.	-do-
26. Administrative Officer, Centre for Aeronautical Systems Studies & Analysis, Bangalore.	-do-
27. Chief Administrative Officer, Electronics & Radar Development Establishment, Bangalore.	-do-
28. Chief Administrative Officer, Gas Turbine Research Establishment, Bangalore.	-do-
29. Senior Administrative Officer, Naval Chemical & Metallurgical Laboratory, Bombay.	-do-
30. Director, Defence Research & Development Unit, Calcutta.	-do-
31. Senior Administrative Officer, Defence Institute of Fire Research, Delhi.	-do-
32. Senior Administrative Officer, Defence Science Centre, Delhi.	-do-
33. Administrative Officer, Defence Scientific Information & Documentation Centre, Delhi.	-do-
34. Senior Administrative Officer, Defence Institute of Physiology & Allied Sciences. Delhi.	-do-
35. Senior Administrative Officer, Defence Electronics Applications Laboratory, Dehra Dun.	-do-

[File No. 87116/RD-28/1512/D(R&D)]
T.C. SANGAR, Under Secy.

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984